दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

बालिका लापता, रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल में दिनांक 22.03.19 को 16 वर्षीय बालिका के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराया है । परिजनों ने दिनांक 19.03.19 को संदेही युवक पर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का संदेह व्यक्त किया है, जिस पर संदेही के विरूद्ध अप.क्र. 223/19 धारा 363 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है ।

रेल्वे कर्मचारी के सूने मकान में चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। रेल्वे में ईएसएम-3 के पद पर राबर्टशन में कार्यरत दीपक देवांगन उम्र 45 वर्ष द्वारा थाना खरसिया में अपने शासकीय आवास में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराया है । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि रेल्वे कालोनी राबर्टशन के क्वा. नं. 20/2 में परिवार सहित रहता है । दिनांक 20.03.19 से 22.03.19 तक होली अवकाश होने से अपने मूल निवास स्थान बिलासपुर अपने क्वाटर को ताला बंद कर चला गया था । दिनांक 22.03.19 के रात्रि करीब 11 बजे वापस आया तो देखा कि क्वाटर का सामने के दरवाजा का कुंडी तोडकर घर में रखे लैपटॉप, एक नाक की सोने की नथनी , गुलक्क में रखे रूपये, ड्रील मशीन (जुमला 28500 रूपये) को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है । अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 133/19 धारा 457,380 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है ।

पुराना बड़पारा में मकान अंदर मिला था महिला का शव

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ वार्ड नं. 20 के पार्षद शरद सराफ द्वारा पुराना बडपारा नयागंज में रहने वाली श्रीमती ओमपति शर्मा आ. स्व. सजन शर्मा उम्र 60 साल के कमरे में बिस्तर पर मृत अवस्था मे पडी रहने की सूचना दिया , मृतिका के नाक नाक और मुंह से खून निकलकर फर्श पर फैला हुआ था । घटना के संबंध में थाना कोतवाली में मर्ग क्रं. 30/2019 धारा 174 जाफौ पंजीबद्ध कर जांच में लिया जाकर शव का पोस्ट मार्टम कराया गया । डॉक्टर ने मृतिका श्रीमती ओमपति शर्मा का शार्ट ओपिनियन रिपोर्ट दिया गया है जिसके अनुसार मृतिका की मौत हत्यात्मक होना रिपोर्ट में लेख किया गया है । मर्ग जांच में वारिसानो के कथन एवं सम्पूर्ण जांच पर दिनांक 22.03.19 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 220/19 धारा 302 आईपीसी पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है ।

पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या

आरोपी गिरफ्तार, सारंगढ़ के ग्राम खुर्सी की घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सारंगढ ग्राम खुर्सी निवासी ढालेन्द्र टण्ड़न पिता भुवनेश्वर टण्ड़न उम्र 45 वर्ष अपनी मां, पत्नी, दोनों बच्चों के साथ रहता था । ढालेन्द्र टण्ड़न खेती किसानी काम करता था तथा आये दिन शराब पीकर घर परिवार के लोगो को लड़ाई झगडा करता था कि दिनांक 22.03.2019 को दोपहर करीब 03:00 बजे ढालेन्द्र टडन अपनी मां श्रीमती हीरामती टण्ड़न को तुम गोबर बिनने लकड़ी बिनने क्यो जाती हो कहकर लाठी से मारा, मारपीट को देखकर ढालेन्द्र की पत्नी कचरा बाई, उसकी बेटी, और बेटा भागने लगे जिन्हें ढालेन्द्र दौडाकर मारते-पीटते घर लाया और फिर घर में रखे कुल्हाडी से अपने पुत्र डी प्रकाश (उम्र 19 वर्ष) को कुल्हाडी से फेंक कर मारा जो उसे नही लगा तो उसी कुल्हाडी से डी प्रकाश अपने पिता ढालेन्द्र के सिर गर्दन में मारकर उसकी हत्या कर दिया । घटना की रिपोर्ट श्रीमती हीरामती टण्ड़न पति भूवनेश्वर टण्ड़न उम्र 65 वर्ष सा. खुर्सी थानाङ्क सारंगढ़ के रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 164/19 धारा 302 ता.हि. पंजीबद्ध कर आरोपी डी प्रकाश पिता ढालेन्द्र टण्डन उम्र 19 वर्ष निवासी खुर्सी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

नापाक इरादों को मना करने पर युवक ने युवती का सर पत्थर से कुचला

जिंदगी और मौत के बीच झूल रही युवती, आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। होली के दिन एक शर्मनाक घटना खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गीधा में हुई। जो पूरे क्षेत्र को शर्मसार कर दिया। हवास की भुक कहे या नशे में धुत युवकों ने गांव की एक 20 वर्षीय युवती को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, जब युवक अपने पाले मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो पहने हुई सलवार और चुनरी से घसीटते हुए खेतों की ओर ले चला युवती का सिर पत्थर से कुचल कर जान से मारने का प्रयास किया, जिससे युवती बुरी तरह से गंभीर हो गई और उसे मरा जानकार आरोपी फरार घटना स्थल से फरार हो गया । वहीं मुख्य आरोपी गनपत राठिया उर्फ गोलू को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि होली के दिन पीड़िता अपने गांव के पूर्व सरपंच एवं अपने परिवार के करीबी लोगों के घर रोटी पहुंचाने जा रही थी, जहां रास्ते में सूनेपन का फायदा उठाते हुए नशे की हालत में संदेही गनपत राठिया उर्फ गोलू पीड़िता को सूनसान जगह पर ले गया, फिर बलात्कार का प्रयास किया गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे युवती बेहोश हो गई।

इधर बेटी को घर से निकले काफी वक्त होने पर घर वाले चिंतित हो खोजने लगे, उसी समय गांव के एक छोटे बच्चे ने घर आकर घटना की जानकारी दी, जिससे परिजनों ने तत्काल पीड़िता को खरसिया अस्पताल ले गए। वहां से रायगढ़ रेफर कर दिया गया. पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए रायगढ़ से रायपुर रेफर किया गया, जहां गंभीर स्थिति में पीड़िता आईसीयू में भर्ती है।

वहीं उसके दो साथियों को सघनता से पतासाजी करने के बाद मुख्य आरोपी गनपत राठिया उर्फ गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

घटना के 2 दिन बाद गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी गनपत राठिया ने कुछ और ही कहानी बताई है। गनपत ने कहा कि वह उस लड़की से बहुत प्यार करता था। कुछ दिन पहले ही लड़की की शादी कहीं और तय करने की तैयारी चल ही रहा था, ऐसे में वह उसे लेकर भाग जाने की जिद करने लगा। परंतु संस्कारों में पली बढ़ी लड़की ने इस बात से इन्कार किया, वहीं कहा कि मुझे मार डालो। फिर बिना सोचे समझे ही गनपत ने पहले तो हाथ मुक्के से उसके सर पर वार किया, इसके बाद नजदीक पड़े पत्थर से उसके सिर को कुचलने का प्रयास किया।

शराब बहका रही नई पीढ़ी को...

मामला जो भी हो इसकी तो सूक्ष्म जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। परंतु नशे की हालत में युवाओं द्वारा लगातार गलत कदम उठाए जा रहे हैं। जिसकी मुख्य वजह है कि ग्राम अनेकों गांव में कच्ची शराब की बिक्री सर चढ़ कर बोल रही है, वहीं ग्राम प्रमुखों द्वारा या फिर स्थानीय नेताओं द्वारा इस अवैध व्यापार को सह भी मिली हुई है। ऐसे में युवा वर्ग नशे की आदत में डूब चुका है, जिससे आए दिन खौफनाक घटनाएं हो रही हैं। वहीं अनेकों महिलाएं विधवा हो रही हैं। इतना होने पर भी प्रशासन की खामोशी समझ से परे है।

पत्नी की गला रेतकर हत्या कर पति ने ट्रेन से कटकर दी जान

न्याय साक्षी/रायगढ़। होली के दिन एक तरफ जहां रंगों से लोगों के हाथ रंगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जूट मिल चौकी क्षेत्र के मिट्ठुमुड़ा में एक युवक अपनी पत्नी के गला रेत कर हत्या करने के बाद खुद ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। इस घटना से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। बताया गया कि दंपती के बीच अक्सर विवाद होता था, जिसका दुखद परिणाण दोनों की मौत के रूप में सामने आया।

होली के दिन आरओबी के नीचे पुराने रेलवे फाटक एक युवक की सिर कटी लाश बरामद की गई। शव की जांच के दौरान मिले मोबाईल से जानकारी मिली कि वह जशपुर के बागबहार थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है, जहां से परिजनों को बुलाया गया, जिसके बाद उसकी पहचान लक्ष्मण चौहान पिता धरमु चौहान 30 साल के रूप में की गई। बताया गया कि पेशे से रोजी मजदूरी कर अपना और परिवार का गुजर बसर करनेवाला मृतक जूट मिल चौकी के मिट्ठुमुड़ा मोहल्ले में रहता है। इसी बीच भूपदेवपुर बिलासपुर से उसके ससुराल वालों को भी बुला लिया गया।

घर में मिली पत्नी की लाश

पुलिस मिट्ठुमुड़ा स्थित मृतक के घर पहुंची तो हैरान रह गई। सामने मृतक की पत्नी सोनिया चौहान की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। जिसके गले पर चोट के निशान थे जो बता रहा था कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। इस घटना के सामने आने के बाद होली की खुमारी में डूबे पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई।

बच्चा नहीं होना बना कारण

मामले में परत दर परत खुलासा होने लगा। जिसमें सर्व प्रथम पुलिस ने आपसी विवाद की स्थिति पर फोकस किया। जांच पड़ताल में ज्ञात हुआ कि मृतक की शादी होने के पश्चात भी सन्तान नही हो रही थी। जिसके बाद से ही पुराने निवास स्थल तमनार में भी झगड़ा लड़ाई होती रहती थी। जिस कारण दोनों उक्त निवास स्थल को छोड़कर रायगढ़ मिट्ठू मुड़ा में किराए के मकान के रहकर रोजी मजदूरी का काम कराता था।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सेक्टर अधिकारी प्राथमिकता से करें कार्य-कलेक्टर

कलेक्टर ने ली सेक्टर आफिसर्स की बैठक

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने आज लोकसभा निर्वाचन के सुचारू संचालन के लिए सृजन सभाकक्ष में सेक्टर आफिसर की बैठक ली।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि सभी सेक्टर आफिसर अपने मतदान केन्द्रों का अच्छी तरह भ्रमण कर लें एवं वहां पेयजल, प्रकाश जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मॉकपोल के बाद शत-प्रतिशत क्लोज रिजल्ट क्लियर करना सुनिश्चित करें। गर्मी के मौसम में ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन के सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह ध्यान रखें कि ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगा एवं कमरे में हैलोजन लाइट नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों से कहा कि भलीभांति प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी सेक्टर अधिकारी प्राथमिकता से कार्य करें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि 365 केन्द्रों में वेबकास्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र में सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ताकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480